प्रेस नोट
दिनांक 22.07.2026

थाना नवाबगंज पुलिस व एस0ओ0जी0 टीम की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस मुठभेड के दौरान एक शातिर गौतस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल व 01 अन्य अन्तर्जपदीय अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 अदद खोखा, 01 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद डीसीएम, 01 अदद बलेनो कार, 01 अदद सुपर स्प्लेंडर मोटरसाईकिल व 10 अदद गौवंशीय पशु बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा एक अन्तर्जपदीय पशु तस्कर अय्याज पुत्र मोईद को गड़ेरियन पुरवा–कोल्हमपुर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद डीसीएम, 01 अदद बलेनो कार व 10 अदद गौवंशीय पशु बरामद किया गया था तथा इसके फरार साथी अभियुक्त मोफीद पुत्र जमील को एस0ओ0जी0 व थाना नवाबगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान नगवा मोड़ से गंगा राम चौराहा जाने वाली रोड पर कर्बला के पास पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद सुपर स्प्लेंडर मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 21.07.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गोवंशीय तस्कर एक बलेनो कार को आगे–आगे चलाकर डीसीएम वाहन में गोवंशीय पशुओं को बर्बरता पूर्वक रस्सियों से बांधकर अवैध रूप से तस्करी के लिए ले जा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा तत्काल गड़ेरियन पुरवा–कोल्हमपुर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास सघन वाहन चेकिंग प्रारम्भ की गई। इसी दौरान एक संदिग्ध बलेनो कार पुलिस को देखकर तेज गति से भागने लगी। पुलिस टीम ने तत्परता पूर्वक घेराबंदी कर कार चालक अय्याज पुत्र मोईद निवासी जगनपुर थाना रौनाही जनपद अयोध्या को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पीछे से आ रहे डीसीएम वाहन की जानकारी मिली। इसी बीच डीसीएम वाहन चालक व कुछ अन्य साथी पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 10 गोवंशीय पशु रस्सियों से बर्बरता पूर्वक बंधे हुए मिले। पुलिस ने तत्काल सभी पशुओं को मुक्त कर सुरक्षित कब्जे में लिया तथा बलेनो कार व डीसीएम वाहन को भी कब्जे में ले लिया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल घटना को संज्ञान में लेकर तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था तथा प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस सहित प्रभारी नवाबगंज को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। गठित पुलिस टीमों द्वारा लगातार संभावित स्थानों पर दबिश एवं सघन चेकिंग अभियान चला चलाया जा रहा था। इसी दौरान नगवा मोड़ से गंगा राम चौराहा जाने वाली रोड में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया

गया। जिसमें मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति द्वारा स्वयं को घिरता हुआ पाकर मोटरसाईकिल छोडकर भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में शातिर गौ तस्कर मोफीद के बायें पैर में गोली लगी। जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल गोण्डा में भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद सुपर स्प्लेंडर मोटरसाईकिल बरामद किया गए। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>

गिरफ्तार अभियुक्त अय्याज ने पूछताछ में बताया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में गोवंशीय पशुओं की तस्करी करता है। गिरोह के सदस्य गांवों एवं बागों के आसपास घूम रहे गोवंशीय पशुओं को रात के समय एकत्र करते हैं। पशुओं के मुंह रस्सियों से बांध दिए जाते हैं ताकि वे आवाज न कर सकें। इसके बाद डीसीएम वाहन के फर्श पर रेत बिछाकर पशुओं को रस्सियों से बांधकर वाहन में लाद दिया जाता है तथा वाहन को काली पन्नी से ढक दिया जाता है जिससे बाहर से किसी को संदेह न हो। अभियुक्त ने बताया कि तस्करी के दौरान वह स्वयं बलेनो कार से डीसीएम वाहन के आगे–आगे चलता था तथा रास्ते में पुलिस चेकिंग एवं अन्य गतिविधियों पर नजर रखकर पीछे चल रहे वाहन को मोबाइल फोन के माध्यम से सूचना देता था। आज दिनांक 21.07.2026 को भी वह इसी प्रकार डीसीएम वाहन का रूट क्लियर कर रहा था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण–</u>

01. अय्याज पुत्र मोईद निवासी जगनपुर थाना रौनाही जनपद अयोध्या।
02. मोफीद पुत्र मोहम्मद जमील अहमद निवासी शेखपुर जाफर थाना रौनाही जनपद अयोध्या।(पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार)

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–258/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व11 पशु क्रूरता अधि0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02.

<u>बरामदगी–</u>

01. 01 अदद बलेनो कार।
02. 01 अदद डीसीएम।
03. 01 अदद स्प्लेंडर मोटरसाईकिल।
04. 10 अदद गौवंशीय पशु।
05. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त अय्याज पुत्र मोईद–</u>

01. मु0अ0सं0–474/2020 धारा 147,323,504,506 भादवि थाना रौनाही जनपद अयोध्या ।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोफीद पुत्र मोहम्मद जमील</u>

01. मु0अ0सं0–185/2016 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशुक्रूरता अधिनियम थाना को0 अयोध्या।
02. मु0अ0सं0–329/2018 धारा 3/5/8 गोवध व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 25 आर्मस एक्ट 307 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ।
03.मु0अ0सं0–330/2018 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना नवाबगंज जपनद गोण्डा।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 मनीष कुमार प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस मय टीम।
02. उ0नि0 अभय सिंह थानाध्यक्ष नवाबगंज।
03. वरि0 उ0नि0 श्री विश्वास कुमार चतुर्वेदी
04. उ0नि0 श्री विभव सिंह
05. उ0नि0 श्री पंकज यादव
06. उ0नि0 श्री गौरव सिंह
07. हे0का0 जनार्दन यादव
08. हे0का0 मिथिलेश यादव
09. हे0का0 आनन्द सिंह
10. हे0का0 विपिन सिंह
11. हे0का0 अशोक यादव
12. का0 अमित सिंह
13. का0 अतुल सिंह
14. का0 अभिषेक यादव–1
15. का0 कमलेश यादव
16. का0 अजीत यादव

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 22.07.2026, थाना वजीरगंज
जनपद गोण्डा।

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल 01 लोहे की सोलर पैनल राड बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 289/26 धारा 115(2), 352, 105 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त -1. रामअचल पुत्र बेचन निवासी ग्राम सोहना वजीरगंज, जनपद गोण्डा को ग्राम भीखमपुर नहर पुलिया से गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर आलाकत्ल 01 अदद लोहे की सोलर पैनल राड बरामद किये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी आस्था सिंह पुत्री श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह निवासी सोहाना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना वजीरगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 19.07.2026 को उनके दादा जी श्री राजमणि संह पुत्र फौजदार सिंह बरामदे में बैठे थे। उसी समय रामअचल पुत्र बेचन उनके दादा जी से तम्बाकू बनाने के लिए कहा और दरवाजे के पास रखे लोह की सोलर पैनल की राड से सिर पर जोर से मार दी जिससे उन्हे गम्भीर रूप से घायल हो गये। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । घायल राजमणि सिंह को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान दिनांक **21.07.2026** को उनकी मृत्यु हो गई। जिसके आधार पर अभियोग में धारा 105 बीएनएस की वृद्धि की गयी थी।

आज दिनांक 22.07.2026 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त -1. रामअचल पुत्र बेचन निवासी ग्राम सोहना वजीरगंज, जनपद गोण्डा को ग्राम भीखमपुर नहर पुलिया से गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर आलाकत्ल 01 अदद लोहे की सोलर पैनल राड बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामअचल पुत्र बेचन निवासी ग्राम सोहना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. आलाकत्ल लोहे की सोलर पैनल राड

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 289/26 धारा 115(2), 352, 105 बीएनएस थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अवधेश कुमार पाल
02. उ0नि0 राजदेव यादव
03. का0 चन्द्रेश वर्मा
04. का0 शैलेश दीक्षित

मीडिया सेल, गोण्डा।